रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एम.)-72 REGISTERED No. D (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 29] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 25, 1983/माघ 5, 1904
No. 29] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 25, 1983/MAGHA 5, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1983

सा. का. नि. 39(अ) —औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) अधिनियम, 1982 (1982 का 63) के खण्ड 1 के उप-खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा पहली फरवरी, 1983 को उस तिथि के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा ।

[फा. सं. एक्स-11012/1/81-डी एम ए एस एण्ड पी एफ ए]
राम किशोर मिश्रल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Health Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 1983

G.S.R. 39(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Drugs and Cosmetics (Amendment) Act, 1982 (68 of 1982), the Central Government hereby appoints the 1st day of February, 1983 as the date on which the said Act shall come into force.

[No. X-11012/1/81-DMS&PHA]
R. K. SINGHAL, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983